रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 222] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 1994/वैशाख 13, 1916
No. 222] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 1994/VAISAKHA 13, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 38/(आर ई)/92–97

नई दिल्ली, 3 मई, 1994

का. आ. 353(अ).— विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात आयात नीति, 1992—97 (संशोधित संस्करण : मार्च, 1994) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात :—

अध्याय – 15, भाग–3, पैरा 157, सरणीबद्ध मदों में क्रम सं. 2 के सामने उल्लिखित मदों के विवरण के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

"डाई-अमोनियम फास्फेट – (डी ए पी), म्युरिएट आफ पोटाश (एम ओ पी) मोनो अमोनियम फास्फेट (एम ए पी), सल्फेट आफ पोटाश (एस ओ पी), एन पी

फर्टीलाइजर्स और एन पी के फर्टीलाइजर्स को छोड़कर सभी किस्म के नाइट्रोजिनियस, फास्फेटिक और पोटाशिक फर्टीलाइजर्स ।"

2. यह सार्वजनिक हित में जारी किया गया है ।

[फा. सं. आई पी सी/4/5/(403–क)/92–97]

डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 38|(RE)|92-97

New Delhi, the 3rd May, 1994

S.O. 353(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) the Central Government hereby makes the following amendment in the Export and Import Policy, 1992—97 (Revised Edition : March, 1994), namely :—

In Chapter XV, Part III, Para 157, Canalised Items, the description of items appearing against Sl. No. 2 shall be substituted by the following :—

"All types of nitrogenous, phosphatic and potassic fertilisers except Di-Ammonium Phosphate(DAP), Muraite of Potash (MOP), Mono Ammonium Phosphate (MAP), Sulphate of Potash (SOP), NP Fertilisers and NPK Fertilisers".

2. This issues in public interest.

[File No. IPC|4|5(403-A)|92-97]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-officio Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994